राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
''ए'' ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर–302005
दूरभाष–0141–2740239, फेक्स–0141–2742309, ई मेलः jacct.dta@rajasthan.gov.in

क्रमांक :– एफ.4(1)(आर–38/2023)/अलेसे–III/1382 दिनांक :– 11-07-2025

आदेश संख्या :– 349/2025–26

कनिष्ठ लेखाकार भर्ती परीक्षा 2023 में चयनित **श्री राकेश रेवाड़ पुत्र श्री रामनिवास**, (रोल नं. 707887) को विभागीय नियुक्ति आदेश संख्या 236/2024–25 दिनांक 11.01.2025 में वर्णित शर्तो के अध्यधीन कनिष्ठ लेखाकार के पद पर कोषालय, नागौर में नियुक्त किया गया था, जिसमें बिन्दु संख्या 02 पर उल्लेखित है कि **''राज्य सरकार के कर्मचारियों को देय पेंशन एवं अन्य सेवा लाभ के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देश/आदेश लागू होंगे। यह नियुक्ति अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत के पुलिस सत्यापन रिपोर्ट के अध्यधीन रहेगी। यदि किसी अभ्यर्थी का चरित्र प्रमाण पत्र संतोषजनक प्रमाणित नही पाया गया तो उसके नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जायेंगे।''**

विभाग द्वारा अभ्यर्थी श्री रेवाड़ का सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक, नागौर से पूर्ववृत्त एवं चरित्र सत्यापन करवाये जाने पर कार्यालय पुलिस अधीक्षक, नागौर के पत्र क्रमांक 900 दिनांक 02.04.2025 के द्वारा अवगत करवाया गया है कि श्री रेवाड़ के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण संख्या 45/2018 धारा 302, 307, 323, 341, 147, 149 भादस, पुलिस थाना जायल, संबंधित न्यायालय में जैर ट्रायल है।

कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 04.12.2019 के बिन्दु संख्या 01 के उपबिन्दु संख्या (V) के अनुसार भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय 16 एवं 17 में यथावर्णित अपराधों में एवं उपबिन्दु संख्या (VI) के अनुसार भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147, 148 (बलवा करना) के अपराध में अंतर्वलित अभ्यर्थी राज्य के अधीन सेवाओं/पदों पर नियुक्ति हेतु अपात्र है।

श्री राकेश रेवाड़ के विरूद्ध दर्ज मुकदमें के अंतर्गत धारा 302, 307, 323, 341 कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 04.12.2019 के बिन्दु संख्या 01 के उपबिन्दु संख्या (V) के अनुसार भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय 16 एवं 17 में यथावर्णित अपराधों एवं धारा 147 उपबिन्दु संख्या (VI) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147, 148 (बलवा करना) के अपराध के अंतर्गत है।

अतः कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 04.12.2019 एवं विभागीय आदेश संख्या 236/2024–25 दिनांक 11.01.2025 के कनिष्ठ लेखाकार पद की नियुक्ति की शर्तो के बिन्दु संख्या 02 के आधारों पर श्री राकेश रेवाड़ पुत्र श्री रामनिवास (रोल नं. 707887) की विभागीय आदेश संख्या 236/2024–25 दिनांक 11.01.2025 द्वारा कनिष्ठ लेखाकार के पद पर जारी नियुक्ति एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है।

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक :– एफ.4(1)(आर–38/2023)/अलेसे–III/1382 दिनांक :– 11-07-2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–2) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
3. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, वित्त (विधि प्रकोष्ठ) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर ।
5. संयुक्त विधि परामर्शी, कोष एवं लेखा विभाग।
6. कोषाधिकारी, नागौर को प्रेषित कर लेख है कि श्री राकेश रेवाड़ पुत्र श्री रामनिवास को आदेश की प्रति तामील करवाते हुये निदेशालय को अवगत करावें।
7. उपनिदेशक (ए.सी.पी.) कोष एवं लेखा विभाग को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
9. श्री राकेश रेवाड़ पुत्र श्री रामनिवास निवासी रैवाडों का बास, राजोद तह. जायल जिला नागौर पिन कोड़–341023 (रजिस्टर्ड)।
10. रक्षित/निजी पत्रावली।

(सीमा कौशल)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक II/III)